



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 10515/2026

शशि कांत द्विवेदी

..... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उ0प्र0 राज्य एवं 4 अन्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : शिवांग गर्ग

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से अधिवक्ता : ए.एस.जी.आई., सी.एस.सी., चन्द्र प्रकाश यादव,
उषा किरण

न्यायालय संख्या - 21

माननीय न्यायमूर्ति महेश चन्द्र त्रिपाठी

माननीय न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री ललिता आलोक कुमार द्विवेदी, राज्य-प्रत्यर्थीगण के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री फुजैल अहमद अंसारी और प्रत्यर्थी- भारत संघ के विद्वान अधिवक्ता श्री चंद्र प्रकाश यादव को सुना।

2. वर्तमान रिट याचिका अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित राहत के लिए प्रार्थना करते हुए दायर की गई है:

"(1) परमादेश की प्रकृति में रिट/आदेश/निर्देश जारी किया जाए, जिसके द्वारा यह घोषित किया जाए कि याचिकाकर्ता की भूमि के संबंध में प्रारंभ की गई समस्त अधिग्रहण कार्यवाही, जो कि रेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 20A के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना संख्या KAA0 AA0 1276 (A) दिनांक 22.04.2020, जो भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई तथा समाचार पत्र "हिन्दुस्तान" एवं "दैनिक जागरण" में दिनांक 05.06.2020 को प्रकाशित की गई, तथा तत्पश्चात धारा 20E के अंतर्गत घोषणा अधिसूचना संख्या KAA0 0 24 (ए) दिनांक 30.12.2020, जो भारत के राजपत्र में दिनांक



05.01.2021 को तथा समाचार पत्र “हिन्दुस्तान” एवं “दैनिक जागरण” में दिनांक 30.01.2021 को प्रकाशित की गई, धारा 20F(2) के अंतर्गत विधिक रूप से समाप्त (lapsed) हो चुकी है, क्योंकि घोषणा के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष के भीतर कोई अधिनिर्णय (award) पारित नहीं किया गया।

या वैकल्पिक रूप से

2. परमादेश (Certiorari) की प्रकृति में रिट/आदेश/निर्देश जारी किया जाए, जिसके द्वारा यह घोषित किया जाए कि याचिकाकर्ता की भूमि के संबंध में रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 20A के अंतर्गत जारी अधिसूचना तथा धारा 20E के अंतर्गत की गई घोषणा के आधार पर प्रारंभ की गई समस्त अधिग्रहण कार्यवाही अवैध, शून्य, मनमानी एवं विधि की दृष्टि में अस्तित्वहीन है, क्योंकि उक्त कार्यवाही धारा 20B, 20C, 20D एवं 20F(4) में निहित अनिवार्य प्रक्रिया के घोर उल्लंघन तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत की गई है।

3. दिनांक 15.01.2022 के आक्षेपित अधिनिर्णय को अधिकार क्षेत्र के बिना, शून्य के रूप में रद्द करते हुए उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करना, यांत्रिक रूप से, वैध सर्वेक्षण के बिना, आपत्तियों के निर्णय के बिना, पूर्व-निर्धारण नोटिस के बिना और उचित बाजार मूल्य के निर्धारण के बिना, और इसलिए कानून में अप्रवर्तनीय है।

4. उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जिसमें याचिकाकर्ता के कब्जे के साथ बेदखली, उत्परिवर्तन, विध्वंस या हस्तक्षेप के लिए कोई प्रस्तावित कदम शामिल हैं, जिसमें सभी परिणामी और सहायक कार्यों, कार्यवाही और नोटिसों को रद्द कर दिया गया है, जैसा कि एक व्यपगत और शून्य अधिग्रहण पर स्थापित किया जा रहा है

5. यह घोषित करने के लिए परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें कि याचिकाकर्ता की भूमि के संबंध में रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 201 के तहत कोई भी निहित नहीं हुआ है, क्योंकि न तो भौतिक कब्जा लिया गया है और न ही मुआवजा कानूनी रूप से निर्धारित और भुगतान किया गया है, और याचिकाकर्ता को स्थापित, शांतिपूर्ण और निर्बाध कब्जा नियत है।



6. परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें जो प्रत्यर्थीगण, उनके एजेंटों और अधिकारियों को स्थायी रूप से रोकता है:

याचिकाकर्ता को बेदखल करना, मौजूदा दुकानों, संरचनाओं और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को ध्वस्त करना, और याचिकाकर्ता के शांतिपूर्ण कब्जे और आजीविका में किसी भी तरह से हस्तक्षेप करना, कानून के अनुसार सख्ती से नई अधिग्रहण कार्यवाही का पालन करने के अलावा।

7. प्रत्यर्थीगण की आक्षेपित कार्रवाई को शक्ति के रंगीन प्रयोग और कागजी अधिग्रहण के रूप में घोषित करते हुए परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करना, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 300-ए का उल्लंघन है, और इसलिए असंवैधानिक है।

8. एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें कि वैध अधिग्रहण और निहित के अभाव में, प्रत्यर्थीगण के पास विचाराधीन भूमि पर कोई अधिकार, शीर्षक या हित नहीं है और वे उस पर किसी भी नियंत्रण या स्वामित्व का दावा नहीं कर सकते हैं।

9. विकल्प में, और पूर्वाग्रह के बिना, प्रत्यर्थीगण को मुआवजे का एक नया निर्धारण करने का निर्देश दें: भूमि को वाणिज्यिक भूमि के रूप में मानना, उप-पंजीयक दिशानिर्देश दरो और प्रचलित बाजार मूल्य पर विचार करना, मौजूदा संरचनाओं, व्यापार हानि और आजीविका के लिए मुआवजा देना, और कानून के अनुसार सोलेटियम, ब्याज और अतिरिक्त मुआवजे सहित सभी वैधानिक लाभ प्रदान करना।

10. प्रत्यर्थीगण की मनमानी और अत्यधिक कार्रवाई के लिए याचिकाकर्ता के पक्ष में अनुकरणीय लागत प्रदान करना।

11. कोई अन्य या आगे का आदेश पारित करें जिसे यह माननीय न्यायालय प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और समीचीन समझे।

3. अभिलेख से स्पष्ट होता है कि रेलवे अधिनियम, 1989 (जिसे आगे “अधिनियम, 1989” कहा गया है) की धारा 20A की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने दिनांक 19.03.2020 को एक अधिसूचना जारी की, जिसके द्वारा यह घोषित किया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गया कि उस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित संक्षिप्त विवरण वाली भूमि लोक प्रयोजन हेतु, अर्थात् विशेष रेलवे परियोजना-ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन एवं संचालन के लिए, जनपद इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश राज्य में आवश्यक है। उक्त अधिसूचना में यह भी प्रावधान किया गया है कि विचाराधीन भूमि में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों के भीतर, अधिनियम, 1989 की धारा 20 डी (1) के तहत ऐसी भूमि के अधिग्रहण और उपयोग के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आपति दर्ज कर सकता है, अर्थात् विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (एसएलएओ), इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। यह भी निर्धारित किया गया था कि इस तरह की आपतियां लिखित रूप में होनी चाहिए, उसके आधार निर्धारित करते हुए, और यह कि आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। इसके बाद, अधिनियम, 1989 की धारा 20ई के तहत दिनांक 30.12.2020 की अधिसूचना के माध्यम से एक घोषणा जारी की गई थी, जिसे 05.01.2021 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था और 30.01.2021 को समाचार पत्र हिंदुस्तान और दैनिक जागरण में भी प्रकाशित किया गया था। अंततः, निर्णय 15.01.2022 को दिया गया और उसी तारीख को नोटिस भी जारी किए गए और कार्यकाल धारकों को मुआवजा प्राप्त करने के लिए कहा गया।

4. प्रारम्भ में ही, राज्य-प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता तथा भारत संघ की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने रिट याचिका की ग्राह्यता के संबंध में एक प्रारम्भिक आपति उठाई। यह प्रस्तुत किया गया कि रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 20A के अंतर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 19.03.2020 के अनुसार, संबंधित भूमि में हित रखने वाले किसी भी व्यक्ति को अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर, अधिनियम, 1989 की धारा 20D(1) के अनुसार आपतियाँ प्रस्तुत करनी आवश्यक थीं। प्रत्यर्थीगण के अनुसार, याचिकाकर्ता द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर कोई आपति प्रस्तुत नहीं की गई। यद्यपि याचिकाकर्ता ने दिनांक 15.05.2020 की एक आपति पर भरोसा किया है, जो रिट याचिका के साथ परिशिष्ट-2 के रूप में संलग्न है, तथापि अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि उक्त आपति कभी सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित की गई या उनके द्वारा प्राप्त की गई।



5. प्रत्यर्थागण की ओर से यह भी प्रस्तुत किया गया है कि एक बार 15.01.2022 को अधिनिर्णय पारित हो जाने के बाद, मुआवजे के निर्धारण के संबंध में किसी भी शिकायत को याचिकाकर्ता द्वारा अधिनियम, 1989 की धारा 20F(6) के तहत मध्यस्थ के समक्ष आंदोलित किया जा सकता है, जो एक प्रभावी वैधानिक उपाय है। यह भी तर्क दिया गया है कि उचित स्तर पर कानून के अनुसार इस तरह के उपाय का लाभ उठाने के बजाय, याचिकाकर्ता ने घोर और अस्पष्टीकृत देरी के बाद इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए विचाराधीन अधिग्रहण, जो निर्विवाद रूप से एक सार्वजनिक उद्देश्य है, यह तर्क दिया गया है कि रिट याचिका को केवल देरी और गफलत के आधार पर खारिज किया जाना चाहिए।

6. प्रत्यर्थागण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि दिनांक 15.01.2022 को निर्णय देते समय, सक्षम प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 10.02.2021 और 08.10.2021 के पत्रों के माध्यम से पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजे गए अभ्यावेदनों/आपतियों पर भी विचार किया था। उक्त अभ्यावेदन में, याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि चूंकि उप-विभागीय मजिस्ट्रेट ने विचाराधीन भूमि को आबादी के रूप में घोषित किया था, इसलिए इसे गैर-कृषि भूमि के रूप में मानते हुए मुआवजा निर्धारित किया जाना चाहिए था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (एसएलएओ) ने अधिनिर्णय पारित करते समय विशेष रूप से उपरोक्त पत्रों पर ध्यान दिया और देखा कि अधिनियम, 1989 की धारा 20 ए के अनुसार किए गए प्रकाशन के जवाब में तीस दिनों के भीतर कोई आपति दर्ज नहीं की गई थी और आपतियां केवल बाद में उपरोक्त तिथियों पर पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रस्तुत की गई थीं।

7. एक बार उपरोक्त आपतियां उठने के बाद, इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को बार-बार इस न्यायालय के असाधारण रिट क्षेत्राधिकार को लागू करने में अत्यधिक देरी की व्याख्या करने और यह भी स्पष्ट करने के लिए कहा कि क्या याचिकाकर्ता ने पहले से ही अधिनियम, 1989 के तहत उपलब्ध वैधानिक वैकल्पिक उपाय का लाभ उठाया है। हालांकि, न्यायालय द्वारा पूछे गए विशिष्ट प्रश्नों का स्पष्ट और स्पष्ट उत्तर देने के बजाय, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय के प्रश्नों को टालते रहे। न्यायालय के बार-बार पूछे जाने के बाद ही विद्वान अधिवक्ता ने अंततः कहा कि याचिकाकर्ता ने वास्तव में अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के तहत मध्यस्थ के समक्ष पहले ही अधिनिर्णय को चुनौती दी थी।



8. हम यह देखने के लिए बाध्य हैं कि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय के एक अधिकारी से अपेक्षित तरीके से न्यायालय की सहायता नहीं की है। रिट याचिका दायर करने में घोर देरी और वैधानिक वैकल्पिक उपाय का लाभ उठाने के बारे में बार-बार और नुकीले प्रश्नों के बावजूद, विद्वान अधिवक्ता ने स्पष्ट प्रतिक्रिया देने से परहेज किया और न्यायालय द्वारा बार-बार हस्तक्षेप के बाद ही सही तथ्यात्मक स्थिति का खुलासा किया। इस तरह के आचरण की सराहना नहीं की जा सकती। असाधारण क्षेत्राधिकार का आह्वान करने वाला एक वादी सभी भौतिक तथ्यों के पूर्ण और निष्पक्ष प्रकटीकरण के साथ न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए बाध्य है। रखरखाव की जड़ तक जाने वाले मुद्दों पर खुलासे से बचने का कोई भी प्रयास न्यायालय के लिए एक गंभीर नुकसान है और इसके परिणामस्वरूप कीमती न्यायिक समय की बर्बादी होती है।

9. फिर भी, चूंकि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जोर देकर कहा कि प्रकरण पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाए, इसलिए हम इसकी जांच भी करने के लिए आगे बढ़े हैं।

10. रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री से, यह स्पष्ट है कि जहां तक अधिनियम, 1989 की धारा 20ए के तहत जारी 19.03.2020 की अधिसूचना का संबंध है, याचिकाकर्ता दिनांक 15.05.2020 की एक कथित आपति पर भरोसा करता है। हालांकि, रिट याचिका के साथ इसकी एक प्रति संलग्न करने के अलावा, यह स्थापित करने के लिए कोई भी सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं रखी गई है कि उक्त आपति कभी भी सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा प्राप्त की गई थी, या उस पर सेवा की गई थी। सेवा या प्राप्ति के किसी भी प्रमाण के अभाव में, इस तरह के दस्तावेज का अस्तित्व याचिकाकर्ता के पक्ष में काम नहीं कर सकता है और इसे कानून/अधिसूचना के तहत आवश्यक वैध आपति के रूप में नहीं माना जा सकता है।

11. यह भी पता चलता है कि दिनांक 15.01.2022 को अधिनिर्णय पारित करते समय, विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 80 के तहत कार्यवाही का संज्ञान लिया, जिसके तहत विचाराधीन भूमि को 21.01.2021 को आबादी घोषित किया गया था और 30.01.2021 को राजस्व रिकॉर्ड में संबंधित समर्थन किया गया था। हालांकि, चूंकि अधिनियम, 1989 की धारा 20ए और 20ई के तहत जारी अधिसूचनाओं से पहले भूमि को आबादी घोषित नहीं किया गया था, इसलिए सक्षम प्राधिकारी ने पाया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 80 के तहत बाद की घोषणा याचिकाकर्ता को आबादी भूमि के रूप में मानते हुए



मुआवजे का दावा करने का हकदार नहीं होगा। इस पहलू को विशेष रूप से अधिनिर्णय में ही निस्तारित किया गया है।

12. हम आगे पाते हैं कि निर्णय 15.01.2022 को पारित किया गया था, जबकि वर्तमान रिट याचिका अत्यधिक समय बीतने के बाद दायर की गई है। गौरतलब है कि जैसा कि अब इस न्यायालय के समक्ष स्वीकार किया गया है, याचिकाकर्ता ने पहले ही अधिनियम, 1989 की धारा 20 एफ (6) के तहत मध्यस्थ के समक्ष अधिनिर्णय को चुनौती देकर वैकल्पिक प्रभावी उपाय का आह्वान किया है। एक बार जब इस तरह के वैधानिक उपाय का लाभ पहले ही उठा लिया जाता है, और विशेष रूप से देरी के लिए किसी भी संतोषजनक स्पष्टीकरण के अभाव में, प्रक्रियात्मक अनियमितता के आधार पर प्रकरण के गुण-दोष अकादमिक हो जाते हैं क्योंकि याचिकाकर्ता ने स्वयं मध्यस्थ के समक्ष उच्च मुआवजे का विकल्प चुना है। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि रिट याचिका पर विचार करने का कोई आधार नहीं है।

13. यह भी विधि का स्थापित सिद्धांत है कि अधिग्रहण कार्यवाही को विलंबित चरण पर चुनौती देने संबंधी रिट याचिका की ग्राह्यता का प्रश्न अब विवाद का विषय (res integra) नहीं रह गया है। शहरी विकास न्यास, उदयपुर बनाम भेरू लाल और अन्य, 2003 (1) एडब्ल्यूसी 73 (एससी) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस स्थिति पर विचार किया, जहाँ भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत घोषणा के प्रकाशन के लगभग दो वर्ष पश्चात अधिग्रहण कार्यवाही को चुनौती दी गई थी, और यह प्रतिपादित किया कि विलंब एवं लापरवाही के आधार पर ऐसी चुनौती को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, विशेषकर तब जब भूमि का अधिग्रहण लोक प्रयोजन हेतु किया गया हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी अभिमत व्यक्त किया कि ऐसे मामलों में न्यायालय को विलंबित चुनौती स्वीकार करने में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि विलंबित चरण पर हस्तक्षेप करने से नियोजित विकास तथा उन व्यक्तियों को, जिनके हित में योजना बनाई गई है, गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

14. उक्त सिद्धांत को पुनः **स्वइका प्रॉपर्टीज (पी) लिमिटेड एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य, (2008) 4 एससीसी 695** में भी दोहराया गया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि अधिग्रहण कार्यवाही को उस अवस्था में चुनौती देने वाली रिट याचिका, जब कार्यवाही पर्याप्त रूप से आगे बढ़ चुकी हो, अत्यधिक विलंब एवं लापरवाही के कारण ग्राह्य नहीं होती है। यह भी बलपूर्वक कहा गया कि जहाँ अधिग्रहण कार्यवाही के सभी महत्वपूर्ण चरण



अंतिम रूप प्राप्त कर चुके हों, वहाँ संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत न्यायालय को हस्तक्षेप करने में अत्यधिक संकोच करना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे यह भी कहा कि एक बार अवार्ड पारित हो जाने के पश्चात तथा उससे उत्पन्न अधिकारों के स्थिर हो जाने पर, विलंब से दायर की गई रिट याचिका को विलंब एवं लापरवाही के आधार पर निरस्त किया जाना उचित है।

15. इसी तरह का दृष्टिकोण इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने **रूपम कुमारी आर्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2008 (4) एडीजे 686** में यह दोहराया गया है कि वैधानिक प्रक्रिया के आगे बढ़ने और पक्षकारों के अधिकारों के पहले ही स्पष्ट होने के बाद अत्यधिक विलंब के बाद अधिग्रहण कार्यवाही को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उपरोक्त सिद्धांत वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर पूरी तरह से लागू होता है।

16. अन्यथा भी, याचिकाकर्ता की ओर से उठाई जाने वाली मुख्य शिकायत या तो अत्यधिक देर से चरण में अधिग्रहण कार्यवाही की वैधता या अधिनिर्णय के तहत निर्धारित मुआवजे की प्रकृति और मात्रा से संबंधित है। वर्तमान प्रकरण के तथ्यों में, सकल देरी और शिथिलता के कारण और वैधानिक वैकल्पिक उपाय का लाभ उठाने के कारण भी, हम रिट याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं, जहां तक इस विलंबित चरण में अधिग्रहण कार्यवाही को चुनौती देने का संबंध है।

17. तदनुसार, रिट याचिका को देरी और लापरवाही के आधार पर **खारिज** किया जाता है और साथ ही याचिकाकर्ता ने रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 20 एफ (6) के तहत वैकल्पिक वैधानिक उपाय का लाभ उठाया है। चूंकि याचिकाकर्ता ने पहले ही मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही शुरू कर दी है, इसलिए वह कानून के अनुसार मुआवजे के संबंध में अपने दावे को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र होगा। यह भी देखा गया है कि यहां की गई कोई भी टिप्पणी वर्तमान रिट याचिका के निर्णय तक ही सीमित है और मध्यस्थ के समक्ष लंबित कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगी।

(न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह) (न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी)

20 मार्च, 2026

एनएलवाई